तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2006/2016/सवाईमाधोपुर** **राजस्थान सरकार बनाम रामरस**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-04-2026	**एकलपीठ** **श्री राजेन्द्र सिंह कविया, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जानी सिंह, उप राजकीय अभिभाषक अभिभाषक अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित -- **आदेश** 1- यह रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88(2) के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 17-01-2006 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है। 2- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार मलारनाडूंगर ने धारा 88(2) राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बाढ़ बरियारा चक की आराजी खसरा सं. 63 रकबा 3 बीघा, किस्म गैर-मुमकिन तलाई थी, जिसे अप्रार्थी रामरस के खाते में अवैध रूप से दर्ज कर दी गई है जिसे अवैध होने से आवंटन निरस्त किया जावे का निवेदन किया है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी. रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02-8-2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/ नियमनों को विधि विरूद्ध मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी में है। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जो बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 17-01-2006 से राजस्व मण्डल को प्रेषित कर अभिशंषा की है कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी के नाम किये गये इंद्राजात निरस्त कर उक्त भूमि पुनः राजकीय गैर मुमकिन तलाई सिवायचक दर्ज करवाने के आदेश दिये जावें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2006/2016/सवाईमाधोपुर** **राजस्थान सरकार बनाम रामरस**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3– विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी **गैरमुमकिन तलाई** सिवायचक के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उन्होंने कहा कि नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। अन्त में उन्होंने विवादित आराजी के संबंध में **अप्रार्थी** के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज को निरस्त कर आराजी को राजस्व रेकार्ड में पूर्ववर्ती **गैरमुमकिन तलाई** दर्ज करने का निवेदन किया। 4– अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये, किन्तु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अतः विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के साथ निर्णय का अवलोकन व अध्ययन किया गया। 5– पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकोर्ड अनुसार ग्राम बाढ़ बरियारा तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर की जमाबंदी बंदोबस्त संवत् 2020 से 2023 में खसरा संख्या 63 रकबा 03 बीघा किस्म गैर मुमकिन तलाई जलोढ़ भूमि 'सिवायचक' अंकित है। उप–जिला कलक्टर बौली के आदेश प/राजस्व/04/7507/ दिनांक 02–12–2004 द्वारा खसरा नंबर 63 रकबा 01 बीघा भूमि किस्म 'नहरी–2' के रूप प्रार्थी रामरस पुत्र रामदेवा मीना के नाम आवंटन किया गया। उक्त आवंटन की पालना में नामान्तकरण सं. 126 (गैर खातेदारी) रामरस पुत्र रामदेवा के नाम खोला गया है। इसके पश्चात नामान्तकरण सं. 143 गैर खातेदारी से खातेदारी का रामरस पुत्र रामदेवा के नाम स्वीकृत किया गया है। वर्तमान जमाबंदी 2053 से 2056 में खसरा सं. 63 रकबा 1 बीघा रामरस पुत्र रामदेवा मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड है। 6– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''गै0मु0 तलाई''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2006/2016/सवाईमाधोपुर** **राजस्थान सरकार बनाम रामरस**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः–

> **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-
> (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**
> Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
> (i)pasture land;
> (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

प्रश्नगत भूमि पूर्व में **गै0मु0 तलाई** की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः–

> All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.

7. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2006/2016/सवाईमाधोपुर** **राजस्थान सरकार बनाम रामरस**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार की स्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जो उपयुर्क्त विवेचन के अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है। 8– परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा उक्त नामान्तकरण सं. 126 दिनांक 21–06–1990 (गैर खातेदारी) एवं नामान्तकरण सं. 143 दिनांक 04–12–2004 (खातेदारी) को निरस्त किया जाते है। तथा खसरा सं. 63 रकबा 1 बीघा को जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 के अनुसार पुनः वापस सिवायचक गै. मु. तलाई के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। 9– निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजेन्द्र सिंह कविया)** **सदस्य**	